न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 2013/114

1. छोटू पुत्र नारायण जाति बागडा ब्रहाम्ण निवासी ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र लादू (दौराने दावा फौत)

1/1 राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय कल्याण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

2. श्रवणलाल पुत्र गंगाबक्ष
3. देवीलाल पुत्र गंगाबक्ष
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र गंगाबक्ष

समस्त जाति बागडा ब्राहाण निवासीयान ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0)

5. सीताराम पुत्र मोहरिया
6. नारायण पुत्र मोहरिया
7. गोपाल पुत्र घासीराम
8. हरिशचन्द्र पुत्र घासीराम
9. रामसहाय पुत्र घासीराम
10. सीताराम पुत्र घासीराम
11. जगदीश पुत्र जयराम
12. कैलाश पुत्र जयराम
13. राजेश पुत्र जयराम
14. बादाम पत्नी जयराम
15. हेमा पुत्र मांगीलाल

समस्त जाति कुम्हार निवासीयान ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर

16. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव पताः– जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
17. उप पंजीयक सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वि

Scanned by CamScanner

18. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर
19. श्यामलाल पुत्र घासीराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा
दुरूस्ती नक्शा ट्रेस, एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक

दावा वादीगण की ओर से इस आशय के साथ पेश हुआ कि ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी साबिका खसरा नंबर 336 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 337 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार लादु उर्फ लाधुराम पुत्र फत्ता थे। खसरा नंबर 333 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा खसरा नंबर 334 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार लादु पुत्र फत्ता हिस्सा 1/2 एवं हनुमान पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 थे। भूमि खसरा नंबर 336, 337 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा नंबर 333 मिन रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 334 मिन रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा जो जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 29.08.1970 उक्त चारो खसरा नंबरान रकबा 9 बीघा का खातेदार लादु पुत्र फत्ता से क्रय की तथा क्रय करने के दिन से काबिज होकर निरंतर काश्त करता आ रहा है। भूमि खसरा नंबर 333 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा खसरा नंबर 334 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा हिस्सा 1/2 अर्थात कुल 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 08.10.1985 को हनुमान पुत्र नारायण से क्रय की उक्त क्रयशुदा भाग पर वादी निरंतर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार वादी द्वारा कुल 13 बीघा 9 बिस्वा भूमि क्रय की। वादी द्वारा क्रय की गयी भूमि के दौराने सेटलमेंट मिलान क्षेत्रफल के अनुसार निम्न खसरा नंबर बने हैः–

गत खसरा नंबर	रकबा	हाल खसरा नंबर	रकबा
333	3 बीघा 3 बिस्वा	771	0.05
		772	0.19
		773	0.18
		774	0.05
		775 मि0	0.12

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

		776मि	0.06
		841	0.06
	योग		0.71

गत खसरा नंबर	रकबा	हाल खसरा नंबर	रकबा
334	5 बीघा 15 बिस्वा	775 मि	0.33
		776 मि	0.20
		779	0.52
		781	0.35
	योग		1.40 है0

गत खसरा नंबर	रकबा	हाल खसरा नंबर	रकबा
336	1 बीघा 7 बिस्वा	789	0.09
		790 मि	0.06
		791	0.16
	योग		0.30 है0

गत खसरा नंबर	रकबा	हाल खसरा नंबर	रकबा
337	4 बीघा 6 बिस्वा	790	0.10
		791	0.69
		794	0.22
	योग		1.01 है0

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

वादी ने प्रतिवादी संख्या के पिता प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के दादा एवं हनुमान पुत्र कल्याण से कयशुदा भूमि कुल रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा जिसके हैक्टेयर स्केल के अनुसार रकबा 3.40 हैक्टेयर है संपूर्ण पर काबिज काश्त है जबकि दौराने भूप्रबंध सेटलमेंट अधिकारियो ने वादी की खातेदारी में खसरा नंबर 789 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 790 रकबा 0.16 है0, 791 रकबा 0.85 हैक्टेयर खसर नंबर 794 रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.31 हैक्टेयर संपूर्ण तथा खसरा नंबर 772 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 776 रकबा 0.28 है0, 78 रकबा 0.35 है0 कुल 0.80 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 खसरा नंबर 771 रकबा 0.05 है0, 773 रकबा 0.18 है0, 774 रकबा 0.05 है0, 775 रकबा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

0.45 है0, 779 रकबा 0.50 है0, 841/0.01 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.31 है0 छोटू पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 अर्थात वादी की खातेदारी में कुल 2.60 हैक्टेयर भूमि अंकित है जो साबिक रकबा 0.74 है0 कम अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के दादा लादु पुत्र फत्ता की खातदारी में खसरा नंबर 771, 773, 774, 775, 779, 841 कुल किता 6 कुल रकबा 1.31 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 (0.65 है0) अंकित की खसरा नंबर 772, 776, 781 कुल किता 3 रकबा 0.80 हैक्टयर हिस्सा 23/360 है (0.10) हैक्टयर अंकित की जबकि लादु पुत्र फत्ता की खातेदारी में मात्र 0.29 है0 भूमि साबिक के अनुसार अंकित की जानी चाहिए। इस प्रकार हाल भूप्रबंध विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के हकपूर्वाधिकारी के खाते 0.44 है0 भूमि अधिक अंकित कर दी गयी जिससे वादी के हक व हिस्से की कुल 3.40 हैक्टेयर भूमि संपूर्ण को अपने नाम अंकित करवाने के अधिकारी है। साबिका खसरा नंबर 333, 334, 336, की नक्शा सीट के अनुसार हाल नक्शाशीट तैयार नही की है। हाल खसरा नंबर 804, 840, 842, 777, 778, 787 में वादी की खातेदारी की 0.30 हैक्टेयर भूमि शामिल कर दी गयी उक्त खसरा नंबर में शामिल की गई की खातेदारी की भूमि 0.30 है0 है संपूर्ण को वादी अपने नाम अंकित करवाने का अधिकारी है। भूप्रबंध विभाग को किसी खातेदार काश्तकार की भूमि का रकबा कम या अधिक करने या दिगर व्यक्ति की खातेदारी में अंकित करने का अधिकार नही है। वर्तमान जमाबंदी के पठन के पश्चात कानूनी परामर्श से प्राप्त किये गये अन्य दस्तावेजो के तुलनात्मक अध्ययन एवं जानकारी करने पर वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 19 मई 2013 को राजस्व अभिलेखो में सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा की गई अवैधानिक कार्यवाही को दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे साफ इंकार हो गये तथा वे वादी से झगडा करने पर तैयार हो गये जिसकी वजह से वादीगण को वाद कारण उत्पन्न होने पर माननीय न्यायालय के समक्ष अन्दर मियाद यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वाद कारण राजस्व भूअभिलेख में भूप्रबंध विभाग के कर्मचारियो द्वारा वादी के रकबे में की गयी कमी अवैध कार्यवाही से तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिनांक 19.05.2013 को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने से इंकार करने के पश्चात वाद कारण उत्पन्न होने पर नियमानुसार अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि साबिक खसरा नंबर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

333, 334, 336, 337 कुल किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा से बने हाल रकबा हैक्टयर स्केल के अनुसार 0.74 हैक्टेयर भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। हाल नक्शा ट्रेस में गत नक्शे अनुसार खसरा नंबरान की सीमाए कायम की जाकर दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी नही करे, तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज खसरा नंबर 771, 773, 774, 775, 779, 841, 772, 776, 781, में से 0.44 है0 भूमि तथा खसरा नंबर 840, 842 प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 15 खसरा नंबर 840, 777, 778, 787 का हिस्तांतरण विक्रय, आदि ना तो स्वयं करे ना ही अपने परिवारजन रिश्तेदार ईष्ट मित्र नोकर एजेंट प्रतिनिधि से करावे।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ फोटो प्रति विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर 29.08.1970, फोटो प्रति विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर 08.10.1985, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2025–25, 2021 से 2025, खाता संख्या 245, 262 खाता संख्या 219 ग्राम दहमीकलां, प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल, प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी बन्दोबस्त 1 जुलाई 1989 से 30 सितम्बर 2009 ग्राम दहमीकलां, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शासीट सन् 1955 ग्राम दहमीकलां, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस संवत 2040–41, प्रमाणित प्रतिलिपि हाल जमाबंदी खाता संख्या 30, 121, 122 संवत् 2067–70 ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर, प्रमाणित प्रतिलिपि हाल जमाबंदी खाता संख्या 505 संवत् 2067–70 ग्राम दहमीकलां, प्रमाणित प्रतिलिपि हाल जमाबंदी खाता संख्या 29, 447 खसरा नंबर 840, 841, 862, 890 संवत् 2067–70 ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर पेश की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 5, 7, 10, 11 ता 14, 16 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयें। प्रतिवादी संख्या 6, 8, 9, 18, 17 की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई गई। लेकिन एक माह गुजर जाने के बाद भी उक्त प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने पर तामील की प्रज्जमसन् मानते हुये प्रतिवादी संख्या 6, 8, 9, 18, 17 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 16 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि :– खसरा नंबर 777 रकबा 0.10 है0, 778 रकबा 0.15 है0, 787 रकबा 0.

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

20 हैक्टर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों के परिपेक्ष्य में रिकॉर्ड के आधार पर ही कार्यवाही की जाती है। वादी ने प्रतिवादी को कानून आवश्यक नोटिस वाद दायरीपूर्व प्रस्तुत नही किया गया इसलिए वाद पत्र निरस्तनीय है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र मय विशेष हर्जा खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 5, 7, 10, 11 ता 14 को जवाब दावे हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नही करने पर जवाब दावे का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली में तनकीयात कायम की गई।

वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र छोटू पुत्र नारायण, घासी पुत्र भूराराम कुमावत, प्रभातीलाल पुत्र नाथू राम नाई, को पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 5, 7, 10, 11 ता 14, 19 अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। बहस में अंकित है कि :–

वादी ने आराजी खसरा नंबर 336 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा हाल खसरा नंबर 789 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 790 मि. 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 791 मि. रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 337 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा हाल खसरा नंबर 790 मि. 0.10 हैक्टेयर, 791 मि. 0.69 हैक्टेयर, खसरा नंबर 794 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 333 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा हाल खसरा नंबर 771 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 772 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 773 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 774 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 775 मिन. रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 776 मि. रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 841 रकबा 0.06 हैक्टेयर, कुल रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नंबर 334 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा हाल खसरा नंबर 775 मि. रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 776 मिन रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 779 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 781 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल रकबा 1.40 हैक्टेयर वाके ग्राम दहमीकला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात में से खसरा नंबर 336 व 337 का कुल संपूर्ण रकबा यानि 05 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार लादू पुत्र फत्ता से वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.08.1970 को खरीद कर लिया तथा खसरा नंबर 333

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

व 334 जिसका कुल रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा है जिसमें 1/2 हिस्सा 04 बीघा 09 बिस्वा में से 03 बीघा 07 बिस्वा को खातेदार लादू पुत्र फत्ता ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.08.1970 को वादी को बेचान कर दिया तथा शेष 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि खातेदार लादू पुत्र फत्ता के हिस्से में रही। इसी प्रकार से खसरा नंबर 333 व 334 में से हनुमान पुत्र नारायण के 1/2 हिस्से अर्थात रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा संपूर्ण को भी वादी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.10.1985 को खरीद कर लिया। इस प्रकार से वादी ने कुल 13 बीघा 09 बिस्वा भूमि का खातेदार हुआ परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से जो विक्रय पत्र दिनांक 29.08.1970 को वादी के पक्ष में पंजीकृत हुआ था उसके आधार पर वादी के पक्ष में मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 29.08.1970 के द्वारा 09 बीघा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होना चाहिये था परन्तु खसरा नंबर 336 व 337 में से 05 बीघा 03 बिस्वा का ही अमल दरामद वादी के पक्ष में किया गया शेष 10 बिस्वा भूमि का अमल दरामद नहीं हुआ है, जो कि खसरा नंबर 335 में अंकित कर दिया। इस प्रकार खसरा नंबर 335 का रकबा जो वास्तविक होना चाहिये था, उससे 10 बिस्वा अधिक बढा दिया, जो राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण हुआ है। शेष 03 बीघा 07 बिस्वा का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में नहीं किया गया जो कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के खाते में पूर्व के मुताबिक दर्ज चली आ रही है, जबकि उक्त 03 बीघा 07 बिस्वा का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के दादा लादू पुत्र फत्ता द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादी के पक्ष में बेचान कर दिया था। ऐसी सूरत में 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि जिसका अमल दरामद वादी के पक्ष में किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया। अतः उक्त 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 333 व 334 में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का नाम हटा कर उसकी जगह वादी के नाम अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जावे। इसी प्रकार हनुमान पुत्र नारायण द्वारा खसरा नंबर 333 व 334 में से अपना 1/2 हिस्सा अर्थात 04 बीघा 09 बिस्वा भूमि जरिये जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी के पक्ष में पंजीकृत करा दिया। उक्त रकबे में से भी वादी के पक्ष में मात्र 04 बीघा 03 बिस्वा का ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया जबकि रजिस्ट्री के अनुसार 04 बीघा 09 बिस्वा का अमल दरामद किया जाना चाहिये था। उपरोक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गयी है। इस संबंध में वादी ने हल्का पटवारी से संपर्क कर पूछा तो उनके द्वारा वादी को बताया

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

गया कि खसरा नंबर 332 व 335 में रकबा बढ जाने के कारण तथा खसरा नंबर 333 व 334 में रकबा कम हो जाने की वजह से उक्त त्रुटि हुई है जिसे दुरूस्ती हेतु वादी ने न्यायालय के समक्ष उनवानी वाद पेश किया है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में स्वयं के एवं विक्रय पत्रों के गवाहान प्रभाती लाल पुत्र नाथू राम नाई एवं एक अन्य गवाह घासी राम पुत्र भूरा कुमावत के बयान करवाये जिन्होंने भी वादी के वाद की पुष्टि की है।

अधिवक्ता वादी ने न्यायालय से निवेदन किया कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 333 व 334 कुल रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा 04 बीघा 09 बिस्वा में से 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो उनके दादा लादू पुत्र फत्ता के नाम राजस्व रिकार्ड अंकित थी, जिसको जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादी को बेचान कर दी थी। उक्त 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से में से कम करके, उक्त 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में वादी के पक्ष में किया जावे तथा इसी प्रकार से खसरा नंबर 333 व 334 में से जो 1/2 हिस्सा अर्थात 04 बीघा 09 बिस्वा भूमि हनुमान पुत्र नारायण ने वादी को बेचान की थी, परन्तु राजस्व रिकार्ड में 04 बीघा 03 बिस्वा का ही अंकन वादी के पक्ष में किया गया शेष 06 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 332 व 335 में बढा दी गयी जिसे उक्त रकबे में से 06 बिस्वा भूमि कम करके वादी के खसरा नंबर 333 व 334 की भूमि में 06 बिस्वा भूमि बढा कर, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा इसी प्रकार से खसरा नंबर 336 व 337 में कम हुयी 10 बिस्वा भूमि का भी अंकन खसरा नंबर 335 में से कम करते हुये वादी के खसरा नंबर 336 व 337 के रकबे में बढाई जावे तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुये राजस्व नक्शे को दुरूस्त किया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वादी की ओर से वादी स्वयं तथा विक्रय विलेखों के गवाहान प्रभाती लाल पुत्र नाथू राम नाई तथा गवाह घासी राम पुत्र भूरा कुमावत के बयानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व असल विक्रय पत्रों व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन व परिशीलन करने के पश्चात यह पाया गया कि वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.10.1985 एवं दिनांक 29.08.1970 से जो भूमि खरीद की है उससे यह स्पष्ट है कि वादी ने भिन्न भिन्न विक्रय पत्रों के

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर

Scanned by CamScanner

जरिये कुल 13 बीघा 09 बिस्वा भूमि खरीद की है, परन्तु राजस्व कर्मचारियों के द्वारा सहवन से वादी द्वारा खसरा नंबर 336 हाल खसरा नंबर 789, 790मि., 791 व खसरा नंबर 337 हाल खसरा नंबर 790, 791, 794 का संपूर्ण रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा नंबर 333 हाल खसरा नंबर 771, 772, 773, 774, 775मि., 776मि., 841 व खसरा नंबर 334 हाल खसरा नंबर 775मि., 776 मि. 779, 781 में से 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के दादा लादू पुत्र फत्ता से खरीद की थी, में से 05 बीघा 03 बिस्वा का नामान्तकरण वादी के पक्ष में स्वीकृत किया गया तथा साथ ही 03 बीघा 07 बिस्वा का अमल दरामद भी विक्रय पत्र के मुताबिक वादी के पक्ष में किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में 03 बीघा 07 बिस्वा का अमल दरामद वादी के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा साथ ही खसरा नंबर 333 हाल खसरा नंबर 771, 772, 773, 774, 775मि., 776 मि., 841 व खसरा नंबर 334 हाल खसरा नंबर 775मि., 776मि., 779, 781 में से 04 बीघा 09 बिस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा जो हनुमान पुत्र नारायण के नाम से था, जिसे उसने वादी को बेचान कर दी थी, में से भी 06 बिस्वा भूमि का अंकन कम किया गया है, उक्त त्रुटि खसरा नंबर 332 हाल खसरा नंबर 764, 767, 769मि., 770, 777, 778, 768 व खसरा नंबर 335 हाल खसरा नंबर 326, 769मि., 780, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 797 का रकबा बढाने के कारण हुई है जो राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल व वादी द्वारा दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय के साथ स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 333 हाल खसरा नंबर 771, 772, 773, 774, 775मि., 776 मि., 841 व खसरा नंबर 334 हाल खसरा नंबर 775मि., 776मि., 779, 781 में से 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से में से कम करके 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे, तथा साथ ही खसरा नंबर साबिक 333, 334, 336, 337 से कम हुई 16 बिस्वा भूमि हाल खाता संख्या 332, 335 के खसरा नंबर 326, 769 मि0, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 797, 764, 767, 769 मि0, 770, 777, 778, 768, 769 में बढी है में से खसरा नंबर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

769 मि0, 784, 785, 786, 764, 767, 778, 326, 769 के खसरा नंबर की भूमि को छोडते हुये शेष खसरा नंबर 770, 777, 768, 780, 782, 783, 787, 788, 797 में बढी 16 बिस्वा भूमि को उक्त खसरा नंबर से कम करके वादी के साबिक खसरा नंबर 333, 334, 336, 337 के हाल खसरा नंबर 789, 790 मि0, 791, 794, 771, 772, 773, 774, 775मि0, 776मि0, 841, 779, 781 में 16 बिस्वा भूमि वादी के हिस्से में बढाते हुये राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा इसी मुताबिक राजस्व नक्शे को दुरूस्त किया जावे तथा आदेश की पालना हेतु तहरीर तहसीलदार, सांगानेर को जारी की जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2019.11.19 12:57:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: